न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 72/2022 निर्णय दिनांक 13.08.2024

ऑनलाईन जीसीएमएस नम्बर 2022/140

1. भीखे खां 2. महबूब खां 3. बाबू खां पुत्रगण नूर खां जाति सिपाही (मुसलमान) निवासीगण शैरूणा तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर 4. अकबर अली पुत्र नब्बी खां जाति सिपाही (मुसलमान) निवासीगण शैरूणा तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर 5. नथी 6. मीटू 7. मुन्नी पुत्रियान नूर खां जाति सिपाही (मुसलमान) निवासीगण शैरूणा तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर ।

—वादीगण—

बनाम

1. सुल्तान खां 2. शेर खां पुत्रगण उजीर खां जाति सिपाही (मुसलमान) निवासीगण शैरूणा तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर 3. अल्लादीन खां 4. महबूब खां पुत्रगण नानू खां जाति सिपाही (मुसलमान) निवासीगण शैरूणा तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर 5. उस्मान खां 6. गन्नी खां 7. नब्बी खां 8. महबूब खां 9. सुलेमान खां पुत्रगण जमाल खां जाति सिपाही (मुसलमान) निवासीगण शैरूणा तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर हाल चुंटिसरा रोड़, प्याऊ के पास, मु.पो. सारणवास तहसील व जिला नागौर 10. भंवरी पत्नी स्व. जमाल खां जाति सिपाही (मुसलमान) निवासीगण शैरूणा तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर हाल चुंटिसरा रोड़, प्याऊ के पास, मु.पो. सारणवास तहसील व जिला नागौर 11. तहसीलदार राजस्व, श्रीडूंगरगढ़।

—प्रतिवादीगण—

उपस्थितिः—

1. श्री बाबूलाल सारस्वत अभिभाषक वादी की ओर से
2. श्री नारायण पंवार अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की ओर से।
3. श्री साजिद खान अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 5 ता 10 की ओर से।
4. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

दावा अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण निम्नलिखित प्रकार से वादपत्र प्रस्तुत करते है कि वादीगण पूर्वज उजीर खां पुत्र माधो खां जाति सिपाही (मुसलमान) निवासी शैरूणा की खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 473 तादादी 37 बीघा 01 बिस्वा वाकेरोही पुनरासर तहसील श्रीडूंगरगढ में स्थित है। जिसके नये खसरा नम्बर 550 तादादी 9.3700 हैक्टेयर वाकेरोही पुनरासर है। दावा को समझने के लिए स्व. उजीर खां पुत्र माधो खां जाति सिपाही (मुसलमान) निवासी शैरूणा की वंश वृक्षावली इस प्रकार है:—

3

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.09.03 12:43:52 IST
Reason: SelfAttested

उजीर खां पुत्र माधो खां(फोत)

- सुल्तान खां पुत्र मोजूद
- शेर खां पुत्र मोजूद
- जमाल खां पुत्र फौत
  - उस्मान खां पुत्र मोजूद
  - गन्नी खां पुत्र मोजूद
  - नब्बी खां पुत्र मोजूद
  - महबूब खां पुत्र मोजूद
  - सुलेमान खां पुत्र मोजूद
  - भंवरी पत्नी मौजूद
- नानू खां पुत्र फौत
  - अल्लादीन खां पुत्र मोजूद
  - महबूब खां पुत्र मोजूद
- नूर खां पुत्र फोत
  - भीखे खां पुत्र मोजूद
  - महबूब खां पुत्र मोजूद
  - बाबू खां पुत्र मोजूद
  - नब्बी खां पुत्र फोत
    - अकबर अली पुत्र मौजूद
  - नथी पुत्री मौजूद
  - मीटू पुत्री मोजद
  - मुन्नी पुत्री मौजूद

उजीर खां पुत्र माधो खा सिपाही निवासी शैरूणा का देहान्त हो चुका है उजीर के पांच पुत्र क्रमशः सुल्तान खां, शेर खां, जमाल खां, नानू खां व नूर खां है। उजीर खां के पुत्र जमाल खां का देहान्त हो चुका है उनके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 5 ता 10 है, उजीर खां के पुत्र नानू खां का देहान्त हो चुका है उनके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 3 व 4 है व उजीर खां के पुत्र नूर खां का देहान्त हो चुका है उनके जायज वारिसान वादी संख्या 1 ता 3 व 5 ता 7 व नब्बी खां का पुत्र वादी संख्या 4 है नूर खां की पत्नी मूमल फौत हो चुकी है व नूर खां पुत्र नब्बी खां फोत हो चुका है इसके जायज वारिसान वादी संख्या 4 है वादगत खेत खसरा नम्बर 473 तादादी 37 बीघा 01 विस्वा रोही पुनरासर की खातेदारी उजीर खां पुत्र माधो खां कोम सिपाही निवासी शैरूणा के नाम से थी। उजीर खां के देहान्त होने के बाद एक विरासतन इन्तकाल संख्या 883 रोही पुनरासर दर्ज हुआ जो सही दर्ज हुआ उक्त विरासतन इन्तकाल के बाद जमाबंदी सम्वत 2031 में इन्तकाल का नोट दर्ज हुआ जो सही दर्ज हुआ तदउपरान्त जमाबंदी सम्वत 2035 में भी सही दर्ज हुआ लेकिन जमाबंदी सम्वत 2040 तैयार करते समय भूलवंश वादी संख्या 1 ता 3 व 5 ता 7 के पिता व वादी संख्या 4 के दादा नूर खां का नाम दर्ज होने से रह गया। इसके उपरान्त राजस्व रिकार्ड में जमाबंदी सम्वत 2040 के अनुसार ही [illegible] खां के देहान्त होने के बाद जमाल खां के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 5 ता [illegible] का नाम दर्ज हो गया व नानू खां के देहान्त हो जाने के बाद नानू खां के स्थान पर प्रतिवादी 3 व 4 का नाम दर्ज हो गया। वादगत खेत में वादीगण का 1/5 हिस्सा [illegible] जमाबंदी सम्वत 2040 में भूलवंश वादीगण के पिता/दादा नूर खां का नाम दर्ज होने से रह गया। जिसको दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। वादगत खेत में वादीगण का 1/5 हिस्सा की भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। मई 2022 में वादीगण को अपने उक्त खातेदारी खेत पर ऋण लेने की

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.09.03 12:43:52 IST
Reason: SelfAttested

3

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

आवश्यकता हुई तो वादीगण ने हल्का पटवारी से उक्त खेत की नकल मांगी तो हल्का पटवारी ने बताया की आपके नाम से कोई भूमि नही है तब वादीगण ने तहसील कार्यालय श्रीडूंगरगढ से वादगत खेत का पुराना रिकार्ड की नकल दिनांक 25.05.2022 को प्राप्त की तब वादीगण को ज्ञात हुआ कि वादीगण के पिता/दादा नूर खां का नाम जमाबंदी सम्वत 2040 तैयार करते समय भूलवंश दर्ज होने से रह गया। फिर दिनांक 25.05.2022 को ही वादीगण तहसीलदार श्रीडूंगरगढ से वादगत खेत में वादीगण के पिता/दादा नूर खां की भूमि वादीगण के नाम दर्ज कर राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करने का निवेदन किया तो तहसीलदार श्रीडूंगरगढ ने कहा कि आप सक्षम न्यायालय का आदेश लेकर आओ तभी हम आपके नाम वादगत खेत में दर्ज करेगें फिर दिनांक 27.05.2022 को वादीगण प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 से मिले और वादगत खेत में वादीगण के हिस्से भूमि वादीगण के नाम दर्ज करवाने के लिए निवेदन किया तो प्रतिवादीगण स्पष्ट इन्कार हो गये व प्रतिवादीगण ने वादीगण को धमकी दी कि वादगत खेत हमारे नाम है हम आपको इस खेत से आपको कोई भूमि नही देगें व हम तुम्हे इस खेत से बेदखल करेगें । हमारे इस खेत का ग्राहक लगा हुआ है हम शीघ्र ही इस खेत को विक्रय करेगें तुम लोगो को इस खेत से एक इंच की भूमि नही देगें तुमसे जो होता हो वह कर लो । यही दावे का हेतु है । दावा का आधार वादीगण का वादगत खेत में 1/5 हिस्सा की भूमि पर कब्जा काश्त होने से प्राप्त है। वादीगण वादगत खेत में 1/5 हिस्सा की भूमि पर क़ब्जा काश्त चला आ रहा है। इसलिए वादीगण वादगत खेत में 1/5 हिस्सा की भूमि की खातेदारी की घोषणा करवाने के लिए दावा पेश करने के अलावा अन्य कोई चारा नही है। प्रतिवादीगण ने वादगत खेत को विक्रय करने की धमकी दी है व वादीगण को वादगत खेत में वादीगण के हिस्से की भूमि से बेदखल करने की धमकी दी है। इसलिए वादीगण के पास चिरनिषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने के अलावा अन्य कोई चारा नही है। वादगत खेत की जमाबंदी सम्वत 2040 तैयार करते समय वादीगण के पिता/दादा नूर खां का नाम भूलवंश दर्ज होने से रह गया। उक्त भूल को सुधार कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। दावा में तहसीलदार श्रीडूंगरगढ को आवश्यक पक्षकार होने के कारण पक्षकार बनाया गया है तहसीलदार श्रीडूंगरगढ से प्रत्यक्ष रूप से कोई अनुतोष नही चाहा गया है। प्रतिवादीगण वादगत खेत को शीघ्र ही विक्रय कर वादीगण को वादगत खेत से बेदखल करने पर तुले हुए है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ के विरूद्ध दावा पेश करने के लिए धारा 80 सीपीसी का नोटिस दिया जाना आवश्यक है लेकिन दावा अर्जेन्ट प्रकृति का है इसलिए धारा 80 सीपीसी के अभाव में दावा पेश करने के लिए धारा 80 (2) सीपीसी का प्रार्थना पेश कर दावा पेश करने की अनुमति प्राप्त कर ली गई है। वादगत खेत पुनरासर तहसील श्रीडूंगरगढ में स्थित होने से यह दावा श्रीमानजी के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार में है व दावा जानकारी के अन्दर मियांद पेश है व दावा पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है । अतः वादीगण का दावा निम्न प्रकार से प्रकार से डिक्री फरमाया जावें :—

(क) यह है कि घोषणा की डिक्री वादीगण के पक्ष [illegible] प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की जारी की जावें कि वादीगण वादगत खेत खसरा 550 तादादी 9.3700 हैक्टेयर वाकरोही पुनरासर का 1/5 हिस्सा भूमि के खातेदार काबिज [illegible] है तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.09.03 12:43:52 IST
Reason: SelfAttested

(ख) यह है कि वादगत खेत खसरा नम्बर 550 ताद[illegible] 9.3700 हैक्टेयर वाकेरोही पुनरासर के राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त कर वादगत खेत में 1/5 हिस्से की भूमि वादीगण के नाम

3

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

बहिस्सा बराबर व 1/5 हिस्से की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम व 1/5 हिस्से की भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम व 1/5 हिस्से की भूमि प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 के नाम बहिस्सा बराबर व 1/5 हिस्से भूमि प्रतिवादी संख्या 5 ता 10 के नाम बहिस्सा बराबर अंकन किया जायें तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर राजस्व रिकाड दुरूस्त किया जावें।

(ग) यह कि प्रतिवादीगण को जरिये चिरनिषेधाज्ञा की डिक्री से वर्जित फरमाया जावें की वो खेत खसरा नम्बर 550 तादादी 9.37 हैक्टेयर वाकेरोही पुनरासर से वादीगण को वादीगण के हिस्से की भूमि से बेदखल नही करे व वादगत खेत में वादीगण के हिस्से की भूमि को किसी अजनबी व्यक्ति को विक्रय नही करे तथा ऐसा कोई कृत्य नही करे जिससे वादीगण के हितो पर विपरित असर पडता हो।

(घ) यह कि दावा का समस्त खर्चा वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलाया जावें ।

(ड) अन्य कोई न्यायोचित आज्ञा जो वादीगणं के हितकर हो आज्ञाप्त फरमाई जावें ।

वादीगण के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर इकबालिया जवाब दावा पेश किया गया। स्टेट की ओर से जवाब दावा पेश किया गया। वाद में विवाद्यक बिन्दु नहीं होने के कारण वाद में तनकीहात कायम नही की गई। वादीगण द्वारा pw-1 में भीखे का शपथ पत्र पेश किया गया। वादी द्वारा दस्तावेज प्रदर्श-1 से प्रदर्श-6 करवाये गये। बयान ग्वाह लिये गये। जिरह प्रतिवादीगण शून्य। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। संक्षेप में वादीगण एवं प्रतिवादीगण को जरिये राजीनामा वाद को स्वीकार करनें में आपति नहीं होने व वादी वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

निर्णय

खेत खसरा नम्बर 550 तादादी 9.3700 हैक्टेयर वाकेरोही पुनरासर में 1/5 हिस्से की भूमि वादीगण के नाम बहिस्सा बराबर व 1/5 हिस्से की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम व 1/5 हिस्से की भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम व 1/5 हिस्से की भूमि प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 के नाम बहिस्सा बराबर व 1/5 हिस्से भूमि प्रतिवादी संख्या 5 ता 10 के नाम बहिस्सा बराबर घोषित की जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें। खर्चा वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.09.03 12:43:52 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री मुकदमें इन्तादाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री डूँगरगढ़

पीठासीन अधिकारी उमा मित्तल आरएएस

उनवान

1. शीखे खां 2. महबूब खां 3. बाबू खां पुत्रगण नूर खां जाति सिपाही (मुसलमान) निवासीगण शैरूणा तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर 4. अकबर अली पुत्र नब्बी खां जाति सिपाही (मुसलमान) निवासीगण शैरूणा तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर 5. नथी 6. मीठू 7. मुन्नी पुत्रियान नूर खां जाति सिपाही (मुसलमान) निवासीगण शैरूणा तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर ।

—वादीगण—

बनाम

1. सुल्तान खां 2. शेर खां पुत्रगण उजीर खां जाति सिपाही (मुसलमान) निवासीगण शैरूणा तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर 3. अल्लादीन खां 4. महबूब खां पुत्रगण नानू खां जाति सिपाही (मुसलमान) निवासीगण शैरूणा तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर 5. उस्मान खां 6. गन्नी खां 7. नब्बी खां 8. महबूब खां 9. सुलेमान खां पुत्रगण जमाल खां जाति सिपाही (मुसलमान) निवासीगण शैरूणा तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर हाल चुंटिसरा रोड़, प्याऊ के पास, मु.पो. सारणवास तहसील व जिला नागौर 10. मंवरी पत्नी स्व. जमाल खां जाति सिपाही (मुसलमान) निवासीगण शैरूणा तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर हाल चुंटिसरा रोड़, प्याऊ के पास, मु.पो. सारणवास तहसील व जिला नागौर 11. तहसीलदार राजस्व, श्रीडूंगरगढ़।

— प्रतिवादीगण—

मुकदमा नम्बर 72/2022
दावा बाबतः घोषणात्मक, चिरनिषेधाज्ञा व रिकॉर्ड दुरूस्ती
निर्णय दिनांकः 13.08.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कतई रूबरू अदालत बहाजरी श्री बाबूलाल सारस्वत अधिवक्ता मिनजानिब मुदई व श्री नारायण पंवार अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की ओर से, साजिद खान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 5 ता 10 की ओर से व पैरोकारराज स्टेट की ओर से मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है **कि खेत खसरा नम्बर 550 तादादी 9.3700 हैक्टेयर वाकेरोही पुनरासर में 1/5 हिस्से की भूमि वादीगण के नाम बहिस्सा बराबर व 1/5 हिस्से की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम व 1/5 हिस्से की भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम व 1/5 हिस्से की भूमि प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 के नाम बहिस्सा बराबर व 1/5 हिस्से भूमि प्रतिवादी संख्या 5 ता 10 के नाम बहिस्सा बराबर घोषित की जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार, श्री डूँगरगढ तदनुसार पालना सुनिश्चित करें।**

लीज....0......मुबलिग......0........बाबत......0.........खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह...0..फीसदी सालाना आज को जारी..........तारीख वसूलयाबी.......को अदा करें ।
बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक 13 माह 08 सन् 2024 को जारी किया गया ।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी,
श्री डूँगरगढ

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प	0	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	2.[illegible]	0
3..प्रदर्शो के लिए स्टाम्प	0	3. [illegible]स	0
4.........रूपये पर प्लीडर की फीस	0	4. [illegible] निर्वाह भत्ता	0
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–भत्ता	0	5. [illegible]	0
6.कमिश्नर की फीस	0	6. [illegible] फीस	0
7.आदेशिका की तामिल	0		
योग	0	योग	0

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.09.03 12:43:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,
श्री डूँगरगढ